



जनपद हमीरपुर

दिनांक 27.10.2026

एक अभियुक्त के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदय हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही / प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जनपद के थाना चिकासी से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित / जिलाबदर किया गया है।

पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित / जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगा।

जिलाबदर किये गये अभियुक्त का विवरण:-

बब्लू उर्फ रणविजय खंगार पुत्र स्व० महेन्द्र खंगार निवासी ग्राम टोलाखंगारन थाना चिकासी जनपद हमीरपुर, दिनांक 12.10.2026 से 06 माह।